

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

संजीव मित्तल (भा०प्र०से०)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी ।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव

सभी प्रधान सचिव/सचिव,

सभी विभागाध्यक्ष,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,

सभी जिला पदाधिकारी,

सभी कोषागार पदाधिकारी,

सभी आन्तरिक वित्तीय सलाहकार,

बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक:- 11/09/2023

विषय:- राजस्व व्यय शीर्ष के अंतर्गत पिछले वर्ष(वर्षों) से संबंधित अदायगियों की वसूली हेतु लघुशीर्ष-911-घटाएँ-अधिक अदायगियों की वसूली के संबंध में ।

प्रसंग:- वरिष्ठ लेखा अधिकारी, महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना के पत्रांक टी.एम.-उपशीर्ष-103 (2023-24) -397 दिनांक-08.08.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए निदेशानुसार कहना है कि पिछले वर्ष (वर्षों) से संबंधित अधिक अदायगियों की वसूली के अंतर्गत राजस्व व्यय शीर्ष के अंतर्गत लघुशीर्ष-911-घटाएँ-अधिक अदायगियों की वसूलियों के अंतर्गत राज्य स्कीम, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम-केन्द्रांश, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम-राज्यांश, केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम एवं वाह्य सम्पोषित परियोजना के अंतर्गत निम्न मानक 5 (पाँच) उपशीर्ष खोलने में महालेखाकार कार्यालय, बिहार, द्वारा सहमति प्रदान की गयी है:-

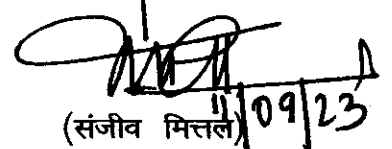
क्रम सं.	योजना	उपशीर्ष कोड	उपशीर्ष का विवरण
1	राज्य स्कीम	0101	अग्रिम वेतन, यात्रा भत्ता अग्रिम एवं अन्य मदों की असामंजित राशि की वापसी ।
		0102	अधिक/अनापेक्षित निकासी की गई राशि की वापसी ।
2	केन्द्रीय प्रायोजित योजना -केन्द्रांश	0201	अग्रिम वेतन, यात्रा भत्ता अग्रिम एवं अन्य मदों की असामंजित राशि की वापसी ।
		0202	अधिक/अनापेक्षित निकासी की गई राशि की वापसी ।
3	केन्द्रीय प्रायोजित योजना -राज्यांश	0301	अग्रिम वेतन, यात्रा भत्ता अग्रिम एवं अन्य मदों की असामंजित राशि की वापसी ।
		0302	अधिक/अनापेक्षित निकासी की गई राशि की वापसी ।

4	केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम	0401	अग्रिम वेतन, यात्रा भत्ता अग्रिम एवं अन्य मदों की असामंजित राशि की वापसी ।
		0402	अधिक/अनापेक्षित निकासी की गई राशि की वापसी ।
5	वाह्य संपोषित परियोजना के राज्यांश	0501	अग्रिम वेतन, यात्रा भत्ता अग्रिम एवं अन्य मदों की असामंजित राशि की वापसी ।
		0502	अधिक/अनापेक्षित निकासी की गई राशि की वापसी ।

अतः अनुरोध है कि पिछले वर्ष (वर्षों) से संबंधित अधिक अदायगियों की वसूली के अंतर्गत राजस्व व्यय शीर्ष में उनके मांग के अंतर्गत मुख्य शीर्ष/उपमुख्य शीर्ष के अंतर्गत लघुशीर्ष-911-घटाएँ-अधिक अदायगियों की वसूलियों के अंतर्गत खोले गये संगत उपशीर्ष के वेतनादि के मामले में उपशीर्ष कोड संख्या क्रमशः 0101, 0201, 0301, 0401, 0501 एवं वेतनादि के अतिरिक्त अन्य मामले में कोड संख्या 0102, 0202, 0302, 0402, 0502 का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार के समेकित निधि में राशि जमा करवाने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नक-यथोक्त ।

विश्वासभाजन



(संजीव मिश्र) 10/9/23

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी ।

11/8/23

(524)

महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA

पत्रांक- टी०एम०-उपशीर्ष-103-(23-24)-397

दिनांक- 08/08/2023

सेवा में,

संयुक्त सचिव -सह- बजट पदाधिकारी,
 वित्त विभाग बिहार, पटना।

विषय :- राजस्व व्यय शीर्ष के अंतर्गत पिछले वर्षों में संबंधित अधिक अदायगियों की वसूलियों एवं घटायें अधिक अदायगियों की वसूली के संबंध में।
प्रसंग :- आपके कार्यालय के पत्रांक अ०पा०-22/2019/666/वि० दिनांक 14/07. 2023

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में महालेखाकार ने राजस्व व्यय शीर्ष के अंतर्गत शीर्ष-911-घटायें- अधिक अदायगियों की वसूलियों के अंतर्गत निम्न मानक पॉच (5) उपशीर्ष खोलने में सहमति प्रदान की गयी है :-

क्र०सं०	योजना	उपशीर्ष कोड	उपशीर्ष का विवरण
1.	राज्य स्कीम	0101	अग्रिम वेतन, यात्रा भत्ता अग्रिम एवं अन्य मदों की असामंजित राशि की वापसी।
		0102	अधिक/अनापेक्षित निकासी की गई राशि की वापसी।
2.	केन्द्रीय प्रायोजित योजना केन्द्रांश	0201	अग्रिम वेतन, यात्रा भत्ता अग्रिम एवं अन्य मदों की असामंजित राशि की वापसी।
		0202	अधिक/अनापेक्षित निकासी की गई राशि की वापसी।
3.	केन्द्रीय प्रायोजित योजना राज्यांश	0301	अग्रिम वेतन, यात्रा भत्ता अग्रिम एवं अन्य मदों की असामंजित राशि की वापसी।
		0302	अधिक/अनापेक्षित निकासी की गई राशि की वापसी।
4.	केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम	0401	अग्रिम वेतन, यात्रा भत्ता अग्रिम एवं अन्य मदों की असामंजित राशि की वापसी।
		0402	अधिक/अनापेक्षित निकासी की गई राशि की वापसी।
5.	वाह्य संपोषित परियोजना के राज्यांश	0501	अग्रिम वेतन, यात्रा भत्ता अग्रिम एवं अन्य मदों की असामंजित राशि की वापसी।
		0502	अधिक/अनापेक्षित निकासी की गई राशि की वापसी।

अतः राजस्व व्यय अंतर्गत पिछले वर्ष में अधिक अदायगियों की वसूली की स्थिति में संबंधित मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष एवं लघुशीर्ष-911-घटायें-अधिक अदायगियों की वसूलियों के अंतर्गत उपरोक्त संगत उपशीर्ष पर सहमति प्रदान की जाती है।

कृपया पत्र की पावती दें।

भवदीय,

[Signature]
 वरिष्ठ लेखा अधिकारी
 बिहार, पटना।

JSL/SM

FF49624X23/1N

झापांक-टी०एम०/उपशीर्ष-103-(23-24)-
प्रतिलिपि :-

दिनांक - /08/2023

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना।
2. डाय मैनेजर भी०एल०सी०
3. सभी टी०ए० अनुभाग।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी
बिहार, पटना।